

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/ओरि./जयपुर/09/ 23

दिनांक: 21 मई, 2012

निदेशक,  
अकादमी स्टाफ कॉलेज,  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर।

विषय: दिनांक: 04.06.2012 से 30.06.2012 तक आयोजित ओरियेन्टेशन कोर्स बाबत।  
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: एएससी/2012/1144 दिनांक: 04.05.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक: 04.06.2012 से 30.06.2012 तक आयोजित ओरियेन्टेशन कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्षों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पुस्तकालयाध्यक्ष	महाविद्यालय का नाम
1	नन्द कुमार शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, बारां
2	राजेन्द्र कुमार शुक्ला	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़
3	कैलाश चन्द शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, करौली
4	बशीर बिरसा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली
5	जगदीश प्रसाद शर्मा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
6	उर्मिला कुमारी गुप्ता	राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

उपरोक्त मनोनीत पुस्तकालयाध्यक्षों को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

डॉ. निमाजी

संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/ओरि./जयपुर/09/ 23

दिनांक: 21 मई, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
  - मनोनीत पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 04.06.2012 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
  - पुस्तकालयाध्यक्षों को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेन्टेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता है एवं चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
- संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ बीकानेर/ अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित पुस्तकालयाध्यक्षों के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त पुस्तकालयाध्यक्षों का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
- डा० धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर डालने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

डॉ. निमाजी

संयुक्त निदेशक